

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2022-23/84

दिनांक : 01-11-2022

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक/प्रारम्भिक-मुख्यालय

विषय :- विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति हेतु सत्र 2022-23 के लिए शालादर्पण पोर्टल पर छात्रवृत्ति आवेदन अग्रेषित करने के सम्बन्ध में निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सत्र 2022-23 में विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं (पूर्व व उत्तर मैट्रिक) हेतु प्रस्ताव शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल के माध्यम से संस्था प्रधान द्वारा ऑनलाईन अग्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे जिसकी अंतिम तिथि निम्नानुसार संशोधित की जाती है :-

क्र.सं.	विवरण	अंतिम तिथि
(अ)	संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएँ ऑनलाईन अपडेट पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	15.11.2022
	Auto Approved प्रस्तावों की जांच करने की अंतिम तिथि	22-11-2022
(ब)	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मु.) द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन अपडेट पश्चात् अनुमोदित/सत्यापित करने की अंतिम तिथि	30.11.2022
	जि.शि.अ.(माध्य.) मुख्यालय द्वारा Auto Process हुए प्रस्तावों की जांच करने की अंतिम तिथि	10-12-2022

- पोर्टल पर अवलोकन करने से ज्ञात हुआ है कि विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में योजना के वर्ग (कटेगरी) में कुल नामांकित विद्यार्थियों की तुलना में योजना के कुल पात्र विद्यार्थी एवं विद्यालय द्वारा लॉक/अग्रेषित आवेदनों की संख्या में बहुत अधिक अंतर है जिसे शासन ने गम्भीरता से लिया है। उक्त क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त अन्तर को यथा सम्भव कम करते हुए यह सुनिश्चित करें कि योजना की पात्रता रखने वाला कोई भी विद्यार्थी योजना के लाभ से वंचित ना रहे, यदि कोई भी पात्र विद्यार्थी योजना के लाभ से वंचित रहता है तो सम्बन्धित संस्था प्रधान का दायित्व निर्धारित किया जायेगा।
- यदि विद्यालय छात्रवृत्ति प्रभारी ने किसी छात्र को किसी भी योजना के लिए स्वीकार व अस्वीकार भी नहीं किया तो किसी भी योजना के लिए पात्र होने पर सिस्टम उस छात्र को अंतिम तिथि 15.11.2022 समाप्त होने के बाद उस योजना हेतु स्वतः पात्र कर देगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी संस्थाप्रधान की होगी।
- Auto Approval से पहले विद्यालय स्तर पर (छात्रवृत्ति प्रभारी प्री/पोस्ट) एवं संस्था प्रधान द्वारा प्रस्तावों की शत प्रतिशत जांच की जायेगी।
- Auto Process की प्रक्रिया उपरान्त Auto Approved प्रस्तावों की सम्बन्धित विद्यालय के छात्रवृत्ति प्रभारी द्वारा शत प्रतिशत जांच की जायेगी एवं संस्था प्रधान द्वारा भी जांच उपरान्त प्रमाण-पत्र जारी करना होगा जिसके लिए संस्था प्रधान को अंतिम तिथि उपरान्त सात दिवस का समय दिया जायेगा।
- यदि आवेदकों को स्कूल से लॉक होने के बाद दी गई समयावधि में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय द्वारा अनुमोदित/सत्यापित नहीं किया जाता है, तो इन आवेदकों को सिस्टम द्वारा दिनांक 30.11.2022 के पश्चात् स्वतः अनुमोदित किया जाएगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी रहेगी।
- जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य.) मुख्यालय द्वारा Auto Process हुए प्रस्तावों में से 25% प्रस्ताव को पुनः Random आधार पर बिल बनाने/भुगतान प्रक्रिया से पूर्व जांच की जायेगी। Auto Process के प्रस्तावों की पुनः जांच हेतु अंतिम तिथि उपरान्त 10 दिवस का समय दिया जायेगा।

उपरोक्त के संबंध में श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश प्रदान किये गये हैं कि कोई भी पात्र विद्यार्थी योजना के लाभ से वंचित ना रहे। यदि कोई भी पात्र विद्यार्थी योजना के लाभ से वंचित रहता है तो सम्बन्धित संस्था प्रधान व संबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

(गौरव अग्रवाल)
निदेशक

IAS

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि अग्रांकित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा व पुस्तकालय विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
2. उप शासन सचिव शिक्षा, (ग्रुप-1) व उपशासन सचिव शिक्षा, (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान, जयपुर।

3. निजी सचिव निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित करते हुए लेख है कि आवश्यक रूप से अपने विभाग के समस्त प्रस्ताव अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से नई ऑटो प्रणाली से शालादर्पण पोर्टल पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करवायें।
4. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग जयपुर, को प्रेषित करते हुए लेख है कि आवश्यक रूप से अपने विभाग के समस्त प्रस्ताव अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से नई ऑटो प्रणाली से शालादर्पण पोर्टल पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करवायें।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा ।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को भेज कर निवेदन है कि उपर्युक्त अनुसार कार्यवाही करवाकर प्रभावी मॉनिटरिंग करवायें।
7. समस्त संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) को अपने अधीनस्थ मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा—मुख्यालय, ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्थाप्रधानों को समय पर शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल पर नई ऑटो प्रणाली द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन हेतु पाबन्द करते हुए प्रभावी मॉनिटरिंग करने बाबत।
8. समस्त संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) को अपने अधीनस्थ मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा—मुख्यालय, ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्थाप्रधानों को समय पर शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल पर नई ऑटो प्रणाली द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन हेतु पाबन्द करते हुए प्रभावी मॉनिटरिंग करने बाबत।
9. वरिष्ठ सम्पादक शिविरा को आगामी अंक में प्रकाशन बाबत।
10. सहायक निदेशक मॉनिटरिंग अनुभाग को प्रभावी प्रबोधनार्थ।
11. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।



प्रभारी अधिकारी
छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर